राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2923/2024

सज्जाद अली खान **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (प्रशिक्षण) तकनीकी शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।
3. उप निदेशक (प्रशिक्षण) उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, बूंदी।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.09.2024

आदेश की दिनांक : 23.09.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री मनीष कुमार शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में समूह अनुदेशक के पद पर उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, बूंदी में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 01.08.2024 के द्वारा पदोन्नति उपरांत कार्यग्रहण करने के आदेश दिये, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने दिनांक 02.08.2024 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी ने दिनांक 13.06.2024 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया कि वह एक वर्ष के अंदर राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने जा रहा है और इस प्रकार उसे नजदीकी स्थान पर पदस्थापित किया जावे। उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, बूंदी में ग्रुप अनुदेशक के 2 पद रिक्त हैं, परंतु रिक्त पद होने के बावजूद अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 18.09.2024 के

द्वारा जिला बूंदी से ईटावा पदस्थापित किया गया है। जबकि अपीलार्थी के सेवानिवृत्त होने में मात्र 10 माह का समय शेष है। अपीलार्थी के स्थानांतरण/पदस्थापन से उसकी ट्रेजरी बदल जायेगी, जिससे पेंशन संबंधी दस्तावेज आदि में कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। प्रत्यर्थी विभाग चाहे तो किसी एक रिक्त पद पर बूंदी में पदस्थापित कर सकता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी 2 वर्ष से कम यदि सेवानिवृत्ति में समय शेष हो तो ऐसे कार्मिकों का स्थानान्तरण/पदस्थापन जिले के अंदर ही किया जाना उचित माना है और इस प्रकार अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन जिले से बाहर किया जाना उक्त विधि के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 18.09.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान बूंदी में ही कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन समूह अनुदेशक के पद पर उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, बूंदी में कार्यरत है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 01.08.2024 के द्वारा पदोन्नति उपरांत कार्यग्रहण करने के आदेश दिये, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने दिनांक 02.08.2024 को कार्यग्रहण किया। जहां तक अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 18.09.2024 के द्वारा जिला बूंदी से ईटावा पदस्थापित/स्थानांतरण किये जाने का प्रश्न है, उक्त आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को पदोन्नति उपरांत पदस्थापन किया गया है। परंतु यह भी सत्य है कि अपीलार्थी राजकीय सेवा से 10 माह के अंदर सेवानिवृत्त होने जा रहा है और इस प्रकार एक जिले से दूसरे जिले में पदस्थापित किया जाना माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनेकों मामलों में यदि सेवानिवृत्ति में 2 वर्ष से कम का समय शेष है तो उनका पदस्थापन/स्थानांतरण जिले से बाहर किया जाना उचित नहीं माना है। इस प्रकार ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग को आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के

दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य एवं अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति को ध्यान में रखते हुये रिक्त पद के आधार पर आगामी चार सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य आदेश दिनांक 18.09.2024 का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है एवं अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण होने तक वहीं पर कार्यरत रखा जावे, जहां चुनौती आदेश जारी किए जाने से पूर्व कार्यरत था। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष